बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये पंचायत प्रतिनिधि प्रतिदिन ग्रामीण जनता से रू-ब-रू होते हैं, तथा जनता की समस्याओं को लेकर इन्हें प्रखंड मुख्यालय एवं जिला मुख्यालयों में जाना-आना पड़ता है। पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा जो मानदेय प्रतिमाह दिया जाता है, वह काफी कम है तथा सम्मानजनक नहीं है। इसे अभी के महंगाई के हिसाब से मानदेय में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल पूरा होने के उपरांत इन्हें सरकार के द्वारा किसी भी तरह की पेंशन राशि का प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि ये पूरे जीवनकाल तक जनता एवं समाज की सेवा में लगे रहते हैं।

अत: मैं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों यथा-जिला परिषद् सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, सरपंच एवं पंच के मानदेय में आज की महंगाई के हिसाब से सम्मानजनक वृद्धि करने तथा कार्यकाल पूरा करने के पश्चात् इन्हें पेंशन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सदन में सरकार से एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करती हूं।

ह./- रीना देवी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 79/2017 - 398 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ वित्त विभाग, बिहार/ पंचायती राज विभाग, बिहार/ ग्रामीण विकास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 17.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

07.03.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बांका जिलान्तर्गत चान्दन नदी से संवेदक महादेव इन्क्लेव द्वारा जिस घाट की निलामी एवं घाट की मापी राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है उस घाट से भी नदी के बीचो-बीच अवैध रूप से सड़क का निर्माण कर बालू का उठाव किया जा रहा है।

ज्ञात हो कि संवेदकों द्वारा बालू के खनन एवं उठाव के कारण राज्य संरकार को लाखों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है।

अत: मैं ध्यानाकर्षण के माध्यम से बांका जिला के चान्दन नदी से अवैध रूप से बालू के खनन को यथाशीघ्र रोकने तथा राज्य सरकार के राजस्व को लाखों रुपए की हो रही क्षति की भरपाई के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- मनोज यादव,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 80/2017 - 399 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ खनन एवं भूतत्व विभाग, बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ गृह विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 17.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 07.03.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

नौबतपुर प्रखंड के रामपुर गांव के नौबतपुर मसौढ़ा रोड पर स्थित देवी स्थान से रामपुर, सरारी, बलियारी, सिंघाड़ा, अईनखान से होते हुए दल्हिन बाजार स्थित सड़क की ओर आकृष्ट करते हुए कहना है कि यह तीन प्रखंडों को जोड़ता सड़क 50 हजार की जनसंख्या को प्रभावित करता है। इस सड़क पर बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं। गाडियों का चलना मुश्किल हो गया है, जबकि पटना से विक्रम तक बनने वाली एन.एच. के नहीं बनने के कारण अधिकांश बसें इसी रोड से जा रही हैं। इस रोड पर जाम लगता है और दुर्घटना होती रहती है।

अत: मैं सरकार से इस सड़क का पक्कीकरण अविलंब कराने हेतु सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- सी.पी.सिन्हा,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 81/2017 - 400 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 07.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/ परिवहन विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 17.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

07.03.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद **ध्यानाकर्षण**

माननीय सभापति महोदय,

अल्पसंख्यक आजाद उच्च विद्यालय, विशनपुर, बांका, बिहार की स्थापना वर्ष 1959 में अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग के द्वारा हुई। माध्यमिक शिक्षा पार्षद बिहार, पटना के सचिव के पत्रांक- 23128-33, दिनांक- 05.10.1962 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। पुन: पत्रांक- 5977, दिनांक- 11.09.1965 द्वारा अल्पसंख्यक विद्यालय घोषित किया गया।

बिहार अराजकीय माध्यमिक विद्यालय एवं नियंत्रण ग्रहण अधिनियम, 1976 के प्रावधान के अनुसार 1978 में अंजुमन इसलाहुल मुसलेमीन, संथाल परगना वो भागलपुर, निबंधन संख्या- 26/68-69 से सम्बद्धता प्राप्त किया गया। पुन: अधिनियम, 1961 की धारा-18 की उप धारा 3(क) के प्रावधान के अनुसार संचालित हुआ।

वर्ष 1988 में स्थानीय आम जनता द्वारा नई प्रबंध समिति एवं सोसाइटी का गठन कर विद्यालय को संचालित किया जाने लगा। जिसके विरुद्ध अंजुमन इसलाहुल मुसलेमीन संथाल परगना व भागलपुर निबंधन संख्या- 26/68-69 एवं इन संस्था द्वारा चयनित सचिव मो. शमसुज्जोहा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका संख्या- 2301/97 दायर किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा 11.02.1999 को अंतरिम आदेश पारित हुआ, जिसमें पेटीशनर द्वारा विद्यालय का संचालन होना था एवं होगा आदेश पारित किया गया।

पुन: माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 29.08.2013 को सुनवाई के पश्चात अंतरिम आदेश को बरकरार रखा गया। जिसके तहत विद्यालय का संचालन होता रहा। परन्तु इधर कुछ दिनो से स्थानीय असमाजिक तत्वों द्वारा अधिनियम के विरुद्ध विद्यालय की व्यवस्था बाधित की जा रही है, फलस्वरूप विद्यालय प्रबंधन प्रशासनिक नियंत्रण रखने में असमर्थ हो रहा है।

अत: मैं अल्पसंख्यक आजाद उच्च विद्यालय, विशनपुर, बांका, बिहार को सुचारू रूप से चलाने के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 86/2017 - 409 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 08.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 17.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 08.03.2017
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।

बिहार विधान परिषद् — ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

लक्खीसराय जिलान्तर्गत प्रखंड चानन के गांव बंशीपुर में अवस्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंशीपुर में श्रीमती फरीद प्रवीण को 14.02.2012 से उर्दू सहायक शिक्षिका के पद पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में लौट्री के आधार पर 34540 (कोटी) में नियुक्ति हुई है। गांव घोषी कुण्डी में एक भी विद्यालय नहीं रहने के कारण अल्पसंख्यकों (मुस्लिम समुदाय) ने अपने पैसे से 12 डिसमिल जमीन खरीद कर महामहिम राज्यपाल के नाम से रजिस्ट्री कर मकतब विद्यालय स्थापित किया। प्राथमिक विद्यालय मकतब घोषी, कुण्डी के भवन निर्माण एवं उर्दू शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित छात्र हित को ध्यान में रखते हुए, जिला शिक्षा पदाधिकारी, लक्खीसराय ने अपने कार्यालय ज्ञापांक- 227, दिनांक- 22.01.2014 द्वारा श्रीमती फरीदा प्रवीण, उर्दू सहायक शिक्षिका को उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंशीपुर चानन को प्राथमिक विद्यालय मकतब घोषी कुण्डी में स्थापित किया था। इस मकतब में 134 अल्पसंख्यक मुस्लिम छात्र-छात्राएं हैं और 80 हिन्दी पढ़ने वाले छात्राओं पर 3 हिन्दी शिक्षक नियुक्त हैं जो उर्दू नहीं जानते हैं उर्दू पढ़ने वालों पर 1 शिक्षिका नियुक्त थीं। जिसको जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शिक्षा विभाग लक्खीसराय ने अपने कार्यालय ज्ञापांक- 204, दिनांक- 10.02.2017 द्वारा मकतब घोषी कुण्डी से स्थानांतरित कर उत्क्रमित मध्य विद्यालय बंशीपुर में पदस्थापित कर दिया है, मकतब घोषी कुण्डी में एक भी उर्दू शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की गयी है, उर्दू पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अत: मैं उर्दू शिक्षिका की नियुक्ति कर पढ़ाई शुरू करने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं।

ह./- संजय कुमार सिंह,
स.वि.प.

ज्ञापांक-वि.प.अ.प्र.- 87/2017 - 410 (1) / वि.प.। पटना, दिनांक: 08.03.2017

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव, बिहार/ संसदीय कार्य विभाग, बिहार/ शिक्षा विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 17.03.2017 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 08.03.2017
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्।